

# कार्यालय जनपद पंचायत रतलाम जिला रतलाम (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

(17 बिन्दुवार विवरण)

## बिन्दु क्रमांक – 1. (संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य)

- (1) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 50 के प्रावधानों में उल्लेखित कृत्य अनुसार संस्था का कार्य प्रमुखतयः अधिनियम और उसके अधीन नियमों के उपबन्धों एवं ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाए , अध्याधीन रहते हुए, जनपद पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह जनपद पंचायत निधि में गुंजाइश हो, खण्ड में निम्नलिखित कार्य के लिये युक्तियुक्त व्यवस्था करेगी :-

### अ) रोजगार मूलक –

(अधोसंरचना निर्माण के साथ ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना)

- 1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- 2) 12वां वित्त अनुदान योजना
- 3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- 4) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- 5) जनभागीदारी योजना


### ब) हितग्राही मूलक –

- 1) स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना  
(अ) स्वयं सहायता समूहों का गठन  
(ब) स्वयं सहायता समूहों को रोजगार उपलब्ध कराना
- 2) इन्दिरा आवास योजना  
(अ) नवीन आवास  
(ब) आवास उन्नयन
- 3) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- 4) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- 5) राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना
- 6) समग्र स्वच्छता अभियान

### स) अन्य कार्य –

- 1) महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं में सहायता की व्यवस्था करना ।
- 2) स्थानीय तीर्थ यात्राओं तथा त्यौहारों के सम्बन्ध में व्यवस्था करना ।
- 3) सार्वजनिक नोघाटों का प्रबंध करना ।
- 4) सार्वजनिक बाजारों , मेलों तथा प्रदर्शनीयों का प्रदर्शन करना ।
- 5) राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य करना ।

(2) कार्यालय का सरचनात्मक ढांचा –



---0---

**बिन्दु क्रमांक – 2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण , कर्तव्य**

क्र	नाम	पद	परिलब्धियाँ	कर्तव्य
1	राधेश्याम त्रिवेदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	4500–7000	कार्यालय प्रमुख
2	अमन श्रोत्रिय	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	4500–7000	कार्यालय में मु.का.अ. की अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी का दायित्व निर्वहन, ग्राम पंचायतो का निरीक्षण , आडिट-तामिली, विभागीय योजनाओं का पर्यवेक्षण
3	राकेश मेहता	सहायक लेखाधिकारी	5000–8000	जिला पंचायत रतलाम में अटैच
4	सुरेशचन्द्र जोशी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500–7000	शाखा प्रभारी स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना

5	मांगीलाल पण्डित	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	आवण्टित क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन
6	विरेन्द्र शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	तदैव
7	जगदीश शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	तदैव
8	आई.एस. मण्डलोई	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4000-6000	तदैव
9	बी.एल.पुरोहित	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	तदैव
10	के.सी.शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	तदैव
11	सुनिता पुरन्दरे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	तदैव
12	एस.एस.चौहान	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	आवण्टित क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन, एवं इन्दिरा आवास शाखा का अतिरिक्त प्रभार ।
14	शिवपाल छप्री	लेखापाल	4000-6000	लेखा शाखा (विकास) , बजट AG आडिट, पेयजल परिवहन ।
15	विरेन्द्रसिंह चौहान	सहायक वर्ग - 2 (सहलेखापाल)	4000-6000	लेखा शाखा (जनपद), आय व्यय, रोस्टर निरीक्षण, मत्स्य पालन, बकाया वसूली, न्यायालयीन कार्य, समग्र स्वच्छता अभियान, अत्योदय अन्न योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ।
16	यशपाल परमार	सहायक वर्ग - 2 (सहलेखापाल)	4000-6000	निर्माण शाखा - सांसद विधायक निधि, जनसम्पर्क निधि, जनभागीदारी, आयोग, गोकुल ग्राम, जलाभिषेक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन (वित्त) कम्प्यूटर प्रभारी ।
17	सुशीला नाडकर	सहायक वर्ग - 2	4500-7000	विकास स्थापना, जनपद स्थापना, लेखा विकास के कार्यों में सहयोग
18	शान्ता तंवर	सहायक वर्ग - 3	3050-4500	सामाजिक सुरक्षा पेंशन , राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन , राष्ट्रीय परिवार सहायता विकलांग छात्रवृत्ति, सिटीजन चार्टर ।
19	नीरज पण्ड्या	सहायक वर्ग - 3	3050-4500	आवक जावक शाखा ।
20	अशोक शर्मा	लिपिक (द.वे.भो.) कलेक्टर दर	2694	पंचायत शाखा , सचिवों की बैठक , पंचायत निर्वाचन, ग्राम सचिवालय, ग्राम न्यायालय

21	संजय शर्मा	लिपिक (द्वै.वे.भो.) कलेक्टर दर	2694	जन्म-मृत्यु, सूचना का अधिकार, आदिवासी विकास, (लेखा शाखा/समग्र स्वच्छता अभियान) इस योजना में श्री विरेन्द्रसिंह चौहान सहलेखापाल के साथ सहयोग ।
22	विनोदसिंह राठौर	वाहन चालक (द्वै.वे.भो.) कलेक्टरदर	2694	वाहन चालक
23	सालगराम	भृत्य	2550-3200	जनपद लेखा एवं निर्माण के बैकिंग कार्य एवं स्थानीय डाक विकरण
24	कृष्णकुमार शर्मा	भृत्य	2550-3200	जनपद सदस्यों , सरपंचों एवं सचिवों की डाक वितरण
25	गजेन्द्रसिंह	भृत्य	2550-3200	विकास लेखा एवं स्थापना कक्ष के साथ बाहरी डाक वितरण
26	सागरबाई	चौकीदार (आकस्मिकता मद)	2550-2600	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के कक्ष एवं ट्रेजरी के बिल लगाना/वेतन चेक लगाना
27	धन्नीबाई	फर्राश (कलेक्टर दर)	1238	कार्यालयीन साफ सफाई पेयजल मिटींग हाल की व्यवस्था एवं मु.का.अ. कक्ष

### बिन्दु क्रमांक – 3 कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-

- अ) कार्यालयीन प्रक्रिया –शाखा लिपिक द्वारा नस्ती तैयार कर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत की जाती हैं एवं नस्ती पर अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया जाता है ।
- ब) रोजगार मूलक – अधोसंरचना विकास के कार्य (निर्माण कार्य) का निर्णय जनपद पंचायत की सामान्य सभा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की कार्ययोजना बनाकर लिया जाता है स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी की जाकर जनपद पंचायत के माध्यम से एजेन्सी (ग्राम पंचायत) को राशि प्रदाय की जाती है । शेष योजनाओं में कार्यो का चयन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के आधार पर जिला पंचायत द्वारा 12वां वित्त अनुदान योजना में किया जाकर स्वीकृति ग्रामसभा द्वारा जारी की जाती है एवं राशि का प्रदाय जिला/जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है । सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कार्यो की अनुशंसा माननीय सांसद/विधायक द्वारा ही कलेक्टर को की जाती है , स्वीकृति कलेक्टर द्वारा जारी की जाकर जनपद पंचायत के माध्यम से एजेन्सी (ग्राम पंचायत) को राशि प्रदाय की जाती है । जनभागीदारी योजना में स्थानीय समूदाय द्वारा प्रस्ताव पेश करने पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है , जनपद पंचायत द्वारा एजेन्सी को राशि प्रदाय की

जाती हैं । उपरोक्त अनुसार एजेन्सी द्वारा किए जाने वाले कार्यों में तकनीकी मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन कार्यालय के उपयंत्री द्वारा किया जाता है ।

- स) हितग्राही मूलक – व्यक्तिगत लाभ कि योजनाओं (सामाजिक सुरक्षा पेंशन , राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना) में सामान्यतः ग्रामसभा द्वारा हितग्राही का चयन किए जाने के प्रावधान हैं । आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कर जनपद पंचायत को भेजे जाते हैं , तदोपरान्त प्राप्त आवण्टन अनुसार भुगतान किया जाता है । इन्दिरा आवास योजना की राशि जिला पंचायत द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जारी की जाती हैं एवं स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण प्रकरण सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा बैंक शाखाओं में प्रस्तुत करने पर बैंक शाखा द्वारा ऋण स्वीकृति दी जाती है । बैंक से ऋण प्रदाय किया जाता है एवं पात्रतानुसार पश्चातवृत्ति अनुदान राशि जिला पंचायत से सीधे बैंक शाखा को जारी की जाती है ।
- द) अन्य कार्य – जनपद क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जाकर कार्य किया जाता है ।
- इ) योजनाओं का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं निर्देशों के तहत किया जाता है
- फ) कार्यालय में समस्त योजनाओं से सम्बन्धित पंजीयन एवं नस्तियों आवश्यकतानुसार संधारित की जाती है ।

---0---

#### **बिन्दु क्रंमाक – 4      नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण**

- अ) सामान्य विवरण – जनपद पंचायत के गठन में सम्मिलित माननीय जनप्रतिनिधी गण (निर्वाचित एवं पदेन सदस्य) की प्रतिमाह न्यूनतम एक सामान्य सभा की बैठक आयोजित की जाती है साथ ही गठित सात स्थाई समितियों क्रमशः सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, संचार एवं सक्र्म समिति, सहकारिता एवं उधोग समिति, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास समिति एवं वन समिति के पदाधिकारियों की प्रतिमाह न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जाती है । उपरोक्त बैठकों में माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, समीक्षा एवं आवश्यक दिशा हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं एवं आवश्यकतानुसार निर्णय लिये जाते हैं ।
- ब) पदाधिकारियों का विवरण –
- |           |   |                                    |
|-----------|---|------------------------------------|
| अध्यक्ष   | – | श्रीमति कलाबाई जगदीशचन्द्र पाटीदार |
| उपाध्यक्ष | – | श्री राकेश सोलंकी                  |

सभापति

स्थायी समिति

- 1) सामान्य प्रशासन समिति – श्रीमति कलाबाई जगदीशचन्द्र पाटीदार
  - 2) शिक्षा समिति – श्री राकेश सोलंकी
  - 3) कृषि समिति – श्री बद्रीलाल पाटीदार
  - 4) संचार एवं सकर्म समिति – श्री हुकूमचन्द्र पाटीदार
  - 5) सहकारिता एवं उद्योग समिति – श्री मदनलाल पाटीदार
  - 6) स्वास्थ्य महिला – श्री भरतलाल पाटीदार  
एवं बाल विकास समिति
  - 7) वन समिति – श्री बलबहादुरसिंह चौहान
- स) अन्य विवरण – जनप्रतिनिधियों को निर्णय लेने के अधिकार का विवरण

1) रोजगार मूलक –

योजना का नाम	अधिकार का विवरण	निर्णय लेने का अधिकार
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (ग्राम पंचायत स्तर)	निर्माण कार्य का चयन	ग्रामसभा
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (जनपद स्तर)	निर्माण कार्य का चयन	जनपद पंचायत की सामान्य सभा
12वां वित्त अनुदान योजना	निर्माण कार्य का चयन	ग्रामसभा
जनभागीदारी योजना	निर्माण कार्य का चयन	ग्रामसभा

2) हितग्राही मूलक –

योजना का नाम	अधिकार का विवरण	निर्णय लेने का अधिकार
स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
इन्दिरा आवास योजना	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
सामाजिक सुरक्षा पेशन	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
समग्र स्वच्छता अभियान	हितग्राही चयन	ग्रामसभा

—0—

**बिन्दु क्रमांक – 5** लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

अ) अधिनियम – म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993

ब) नियम – नियम 1994  
नियम एवं अधिनियम 1995  
नियम एवं अधिनियम 1996  
नियम 1997  
नियम 1998

नियम 1999

नियम 2000

नियम 2001

म.प्र.ग्राम स्वराज नियम 2005

विधियों का अनुकूलन आदेश 2000 (सम्मिलित नियम)

- स) जनपद पंचायत की सामान्य सभा एवं स्थाई समितियों की बैठक का कार्यवृत्त एवं पारित संकल्प
- द) कार्यालयीन अभिलेख नस्ती एवं पंजीयों

—0—

## बिन्दु क्रमांक – 6 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

जनपद पंचायत के लिए गठित निर्वाचित निकाय का विवरण

संस्था का नाम	जनपद पंचायत रतलाम
संस्था का प्रकार	निर्वाचित एवं पदेन सदस्य द्वारा
संस्था का परिचय	त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत मध्यस्तर की पंचायत
संस्था की भूमिका	निर्वाचित एवं पदेन सदस्यों द्वारा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्णय, समीक्षा
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	निर्वाचित , कुल सदस्य संख्या 25 निर्वाचित, 19 पदेन
मुख्य अधिकारी का नाम	रामकुमार शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मुख्य कार्यालय	जनपद पंचायत रतलाम (कलेक्टोरेट के पास)
बैठक की आपूर्ति	प्रतिमाह न्यूनतम एक
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती हैं ?	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ?	हाँ
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती हैं, हाँ तो प्रक्रिया	हाँ , सूचना के अधिकार के तहत अवलोकन एवं प्रतिलिपि प्राप्त करना

—0—

## बिन्दु क्रमांक – 7 लोकसूचना अधिकारियों के नाम , पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी –

क्र	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	राधेश्याम त्रिवेदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	07412	270429	---	—	—	कार्यालय जनपद पंचायत रतलाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

क्र	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	अमन श्रोत्रिय	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	07412	270429	94253-55238	—	—	कार्यालय जनपद पंचायत रतलाम

विभागीय अपीलेंट अथोरिटी –

क्र	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	अवधेश शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	07412	270411		—	—	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रतलाम ग्रामीण

—0—

## बिन्दु क्रमांक – 8 निर्णय लेने की प्रक्रिया

- जनपद पंचायत के निर्वाचित/पदेन पदाधिकारियों द्वारा बैठकों में पारित संकल्प एवं मार्गदर्शन ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा शासन के नियम , निर्देशों के तहत ।

—0—

## बिन्दु क्रमांक – 9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र	नाम	पद	दूरभाष	पता
1	राधेश्याम त्रिवेदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	07412-270429	कार्यालय जनपद पंचायत रतलाम
2	अमन श्रोत्रिय	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	07412-270429 94253-55238	कार्यालय जनपद पंचायत रतलाम

3	राकेश मेहता	सहायक लेखाधिकारी	—	—
4	सुरेशचन्द्र जोशी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	07412—270429	कार्यालय जनपद पंचायत रतलाम
5	मांगीलाल पण्डित	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
6	विरेन्द्र शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
7	जगदीश शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
8	आई.एस. मण्डलोई	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
9	बी.एल.पुरोहित	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
10	एस.एस.चौहान	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
11	के.सी.शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
12	सुनिता पुरन्दरे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
13	शिवपाल छप्री	लेखापाल	तदैव	तदैव
14	विरेन्द्रसिंह चौहान	सहायक वर्ग - 2 (सहलेखापाल)	तदैव	तदैव
15	यशपाल परमार	सहायक वर्ग - 2 (सहलेखापाल)	तदैव	तदैव
16	सुशीला नाडकर	सहायक वर्ग - 2	तदैव	तदैव
17	शान्ता तंवर	सहायक वर्ग - 3	तदैव	तदैव
18	नीरज पण्ड्या	सहायक वर्ग - 3	तदैव	तदैव
19	अशोक शर्मा	लिपिक (द्वै.वे.भो.) कलेक्टर दर	तदैव	तदैव
20	संजय शर्मा	लिपिक (द्वै.वे.भो.) कलेक्टर दर	तदैव	तदैव
21	विनोदसिंह राठौर	वाहन चालक (द्वै.वे.भो.) कलेक्टरदर	तदैव	तदैव
22	सालगराम	भृत्य	तदैव	तदैव
23	कृष्णकुमार शर्मा	भृत्य	तदैव	तदैव
24	गजेन्द्रसिंह	भृत्य	तदैव	तदैव
25	सागरबाई	चौकीदार (आकस्मिकता मद)	तदैव	तदैव
26	धन्नीबाई	फरार्श (कलेक्टर दर)	तदैव	तदैव

—0—

### बिन्दु क्रमांक - 10 प्रत्येक अधिकारी ओर कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक ओर उसके निर्धारण की पद्धति

क्र	नाम	पद	परिलब्धियाँ	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली मे दी गई
1	राधेश्याम त्रिवेदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	4500—7000	म.प्र.शासन, सक्षम अधिकारी द्वारा नियत अनुसार
2	अमन श्रोत्रिय	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	4500—7000	तदैव
3	राकेश मेहता	सहायक लेखाधिकारी	5000—8000	तदैव
4	सुरेशचन्द्र जोशी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500—7000	तदैव
5	मांगीलाल पण्डित	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500—7000	तदैव
6	विरेन्द्र शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500—7000	तदैव
7	जगदीश शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500—7000	तदैव
8	आई.एस. मण्डलोई	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4000—6000	तदैव
9	बी.एल.पुरोहित	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500—7000	तदैव
10	एस.एस.चौहान	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500—7000	तदैव
11	के.सी.शर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500—7000	तदैव
12	सुनिता पुरन्दरे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500—7000	तदैव

14	शिवपाल छप्री	लेखापाल	4000-6000	तदैव
15	विरेन्द्रसिंह चौहान	सहायक वर्ग - 2 (सहलेखापाल)	4000-6000	तदैव
16	यशपाल परमार	सहायक वर्ग - 2 (सहलेखापाल)	4000-6000	तदैव
17	सुशीला नाडकर	सहायक वर्ग - 2	4500-7000	तदैव
18	शान्ता तंवर	सहायक वर्ग - 3	3050-4500	तदैव
19	नीरज पण्ड्या	सहायक वर्ग - 3	3050-4500	तदैव
20	अशोक शर्मा	लिपिक (दै.वे.भो.) कलेक्टर दर	2694	तदैव
21	संजय शर्मा	लिपिक (दै.वे.भो.) कलेक्टर दर	2694	तदैव
22	विनोदसिंह राठौर	वाहन चालक (दै.वे.भो.) कलेक्टरदर	2694	तदैव
23	सालगराम	भृत्य	2550-3200	तदैव
24	कृष्णकुमार शर्मा	भृत्य	2550-3200	तदैव
25	युसुफ शाह	भृत्य	2550-3200	तदैव
26	सागरबाई	चौकीदार (आकस्मिकता मद)	2550-2600	तदैव
27	धन्नीबाई	फरार्श (कलेक्टर दर)	1238	तदैव

—0—

## बिन्दु क्रंमाक - 11 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की जानकारी)

अ) वित्तीय -

क्र	योजना का नाम	1.04.06 को अवशेष राशि (लाखमें)	वर्ष 06-07 में प्राप्त आवण्टन (लाखमें)	कुल उपलब्ध आवण्टन	माहदिसम्बर 2006 तक व्यय
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नगद खाद्यान्न - गेहूँ (500 प्रति किंव) चावल (650 प्रति किंव)	41.29 — —	67.61 2283 किंव 2873 किंव	108.90 2283 किंव 2873 किंव	88.73 — 292 किंव
2	11वां वित्त अनुदान योजना	1.58	0	1.58	0
3	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	18.72	35.75	54.47	34.98
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	1.51	6.02	7.53	5.47
5	जनभागीदारी निधि	0.01	1.00	1.01	0.70
6	इन्दिरा आवास योजना	-	-	-	-
7	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3.15	19.54	22.69	13.06
8	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0.03	3.70	3.73	3.60
9	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	2.11	0	2.11	2.11
10	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.60	3.32	3.92	2.75
11	आदिवासी विकास योजना	2.04	45.89	47.93	42.40
12	जनसम्पर्क निधि	0.73	0	0.73	0.65
13	समग्र स्वच्छता अभियान	1.13	20.50	21.63	20.65
14	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना		144.00 (लक्ष्य)	144.00 (लक्ष्य)	70.43 (वितरण)

ब) भौतिक

क्र	योजना का नाम	1.04.06 को शेष	वर्ष 06-07 में स्वीकृत	कुल	पूर्ण	माह दिसम्बर 2006 तक प्रगति
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	51	46	97	67	30
2	11वां वित्त अनुदान योजना	-	-	-	-	-
3	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	51	37	88	43	45
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	02	08	10	1	09
5	जनभागीदारी निधि	0	01	01	0	01
6	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	0	11	11	11	0
7	इन्दिरा आवास योजना नवीन उन्नयन	0 0	385 92	385 92	0 0	385 92
8	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	851	34	885	-	885
9	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0	36	36	36	0
10	आदिवासी विकास योजना	0	07	07	0	07
11	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	450	20	470	0	470
12	जनसम्पर्क निधि	-	-	-	-	-
13	समग्र स्वच्छता अभियान शाला व्यक्तिगत	-- --	208 2068	208 2068	3 268	205 1800
14	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	-	-	-	-	-

---0---

## बिन्दु क्रमांक - 12 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों की क्रियान्वयन रीति

क्र	योजना का नाम	अनुदान राशि
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	निर्माण कार्य हेतु शत प्रतिशत अनुदान
2	12वां वित्त अनुदान योजना	निर्माण कार्य हेतु 85 प्रतिशत अनुदान
3	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	निर्माण कार्य हेतु शत प्रतिशत अनुदान
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	निर्माण कार्य हेतु शत प्रतिशत अनुदान
5	जनभागीदारी निधि	निर्माण कार्य हेतु 50 प्रतिशत अनुदान
6	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रोजेक्ट अनुसार, अनुदान समूह को रू. 125000/- पश्चातवृत्ति व्यक्तिगत अधिकतम 10000/-
7	इन्दिरा आवास योजना	नवीन आवास निर्माण हेतु अनुदान रूपए 25000/- उन्नयन हेतु अनुदान रू. 10000/-
8	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	रूपए 150/- प्रतिमाह पेंशन
9	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	पात्रतानुसार परिवार को रूपए 10000/- एकबार
10	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	पात्रतानुसार महिला को रूपए 500/- दो बार
11	समग्र स्वच्छता अभियान	पात्रतानुसार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु रूपए 500/-

नोट :- योजनान्तर्गत एक वर्ष के लाभान्वित हितग्राहियों की सूची कार्यालय में उपलब्ध हैं ।

## बिन्दु क्रंमाक – 13 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

इस कार्यालय द्वारा 10 हेक्टर से 100 हेक्टर तक की सीमा के तालाबों को मत्स्य पालन हेतु कलेक्टर के अनुमोदन से अनुज्ञा (पट्टा) पर दिये जाने का कार्य किया जाता है ।

—0—

## बिन्दु क्रंमाक – 14 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

क्र	योजना का नाम	मानक/नियमों का विवरण
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित नियमावली, निर्देश
2	12वां वित्त अनुदान योजना	तदैव
3	जनभागीदारी निधि	तदैव
4	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	तदैव
5	इन्दिरा आवास योजना	तदैव
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	तदैव
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	तदैव
8	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	तदैव
9	समग्र स्वच्छता अभियान	तदैव

—0—

## बिन्दु क्रंमाक – 15 इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित कार्य एवं हितग्राहियों की जानकारी कार्यालय के कम्प्यूटर में उपलब्ध रहेगी ।

—0—

## बिन्दु क्रंमाक – 16 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

कार्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

1. समाचार पत्र द्वारा
2. सूचना पटल
3. अभिलेखों का निरीक्षण
4. प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर

—0—

## बिन्दु क्रंमाक – 17 अन्य उपयोगी जानकारियाँ

सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में -

आवेदन पत्र	शुल्क	सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से माँगी जाये	सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया
लिखित	शासन द्वारा निर्धारित	जो जानकारी चाही गई है उसका विशेष उल्लेख करते हुए आवेदन दिया जावे	अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है

-----0-----

(आर.एस.त्रिवेदी)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत रतलाम